



«CURRENT\_DATE»



# सार्वजनिक सुनवाई का नोटिस

«RESIDENT»  
«ADDRESS»  
«CITYSTATEZIP»

«CLIENT\_NAME»  
«BUSINESS\_NAME»  
«LICENSE\_TYPE»

«HEARING\_DATE\_LONG»

उनके लिए जो इससे संबद्ध हो सकते हैं:

उपरोक्त आवेदन उपरोक्त नामित आवेदक(कों) द्वारा किया गया है। इसके लिए «COMMITTEE\_TYPE» और सिटी ऑफ मिल्वौकी की आम परिषद द्वारा मंजूरी आवश्यक है। यह सुनवाई «COMMITTEE\_TYPE» के समक्ष «HEARING\_DATE» को «HEARING\_LOCATION» में आयोजित की जाएगी। यह एक सार्वजनिक सुनवाई है। जो व्यक्ति कार्रवाई यह देखना चाहते हैं वे इसे सिटी चैनल – चैनल 25 पर स्पेक्ट्रम केबल द्वारा – या इंटरनेट पर यहां देख सकते हैं <http://city.milwaukee.gov/citychannel>. जो व्यक्ति फोन या इंटरनेट द्वारा मौखिक गवाही देना चाहते हैं उन्हें आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टाफ सहायक, यादिरा मेलेंडेज से (414) 286-2775 पर या [stasst5@milwaukee.gov](mailto:stasst5@milwaukee.gov) पर संपर्क करने के लिए कहा जाता है। कृपया इस प्रकार अनुरोध मीटिंग शुरू होने के एक कार्यदिवस पहले तक ही करें। गवाही के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, परंतु यदि आप गवाही देना चाहते हैं तो कृपया निम्नलिखित जानकारी देखें। एक बार «COMMITTEE\_TYPE» द्वारा इसकी अनुशंसा करने पर, यह अनुशंसा पूर्ण आम परिषद को आगामी नियमित निर्धारित सुनवाई के लिए अग्रेषित कर दी जाती है।

उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण विवरण जो «COMMITTEE\_TYPE» को अनुशंसा करते समय विचार करने हेतु जानकारी देना चाहते हैं:

1. लाइसेंस आवेदन की सुनवाई उपरोक्त समय पर करना निश्चित किया गया है। अन्य सुनवाईयां निर्धारित किए समय से लंबी होने के कारण आपको अपनी गवाही देने के लिए कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

2. आपको व्यक्तिगत रूप से पेश होकर ऐसे मामलों की गवाही देनी होगी जो आपने निजी रूप से अनुभव किए या देखे हैं। (आप अपने पड़ोसी, अभिभावक या किसी अन्य के लिए गवाही नहीं दे सकते; इसे अफवाह को अफवाह समझा जाता है और कमेटी द्वारा विचार नहीं किया जा सकता।)

3. कमेटी द्वारा कोई पत्र या याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी (जब तक पत्र लिखने वाला व्यक्ति या याचिका हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कमेटी के समक्ष सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हों या गवाही देने के लिए इच्छुक नहीं हो)।

4. लाइसेंस आवेदन का विरोध करने वाले व्यक्तियों को पहले गवाही देने का अवसर दिया जाएगा; विरोधियों द्वारा पूरा करने के बाद समर्थक गवाही दे सकते हैं।

5. जब आपको गवाही के लिए बुलाया जाए, आपको एक शपथ लेने और आपका नाम, और पता बताने के लिए कहा जाता है। (यदि आपके प्रथम और/या अंतिम नाम असामान्य हैं कृपया उनकी स्पेलिंग बताएं।)

6. फिर आप गवाही दे सकते हैं।

a. केवल उपरोक्त लाइसेंस आवेदन से संबंधित जानकारी शामिल करें।

b. केवल वही जानकारी शामिल करें जो आपने व्यक्तिगत रूप से अनुभव की और देखी है।


c. संक्षिप्त और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करें जिसमें विवरण हो कैसे इस व्यवसाय ने आपके आस-पड़ोस के शांत वातावरण को प्रभावित किया है या कर सकता है।

d. यदि आपके गवाही देने के अवसर तक आप जो जानकारी साझा करना चाहते हैं वह पहले ही कमेटी को प्रदान कर दी गई है, तो आप कह सकते हैं कि आप पहले की गवाही से सहमत हैं। निरर्थक या दोहरावपूर्ण गवाही समिति को इसकी अनुशंसा करने में मदद नहीं करेगी।

7. आपकी गवाही देने के बाद, लाइसेंस कमेटी के सदस्य और लाइसेंसधारक आपकी दी गई गवाही या लाइसेंस आवेदन से संबंधित अन्य कारकों के बारे में आपसे सवाल पूछ सकते हैं।

8. व्यवसाय प्रतियोगिता लाइसेंस से इन्कार करने या नवीनीकरण नहीं करने का वैध आधार नहीं है।

कृपया ध्यान दें: यदि आपने उपरोक्त आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत की है तो कमेटी द्वारा आपकी आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि आप सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से गवाही नहीं देते।



**हिन्दी:** उपरोक्त नोटिस को हिन्दी में समीक्षा करने के लिए, विजिट करें

[LINK] या नीचे छवि को स्कैन करें।